[2019] 1 एससीआर 1096।

बिकाश बोरा और अन्य

बनाम

असम राज्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 164)

05 फरवरी, 2019

[न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ]

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 - हत्या - अभियोजन मामला जिसमें अपीलकर्ताओं ने पीड़ित को घातक चोट पहुंचाई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई - धारा 302/34 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि, और तदनुसार, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और एक प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा, हालांकि माना कि अभियोजन पक्ष का गवाह चश्मदीद गवाह नहीं था - अपील पर, माना गया: सभी परिस्थितियों को एक साथ लेने से अपीलकर्ताओं - बीबी, एबी और एचआर की मिलीभगत को ठोस रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है - अपराध स्थल पर केवल उपस्थिति, धारा 34 को लागू करके उनके खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने का आधार नहीं हो सकती है - हालांकि, नीचे दी गई अदालतों द्वारा नोट की गई परिस्थितियां मृतक की मौत के कारण अपीलकर्ता-डीबी की भागीदारी को स्थापित करती हैं। उसके घर से हथियार की बरामदगी के कारण, जिसका इस्तेमाल मृतक पर हमला करने के लिए किया गया था - चश्मदीद गवाह और डॉक्टर के सबूतों पर भरोसा करने में नीचे दिए गए न्यायालय - उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि यह मृतक की हत्या का मामला था, हालांकि डीबी द्वारा, धारा 302 के तहत दंडित किए जाने वाले अपराध को बरकरार रखा जाता है - यह हत्या के अपराध को बदलने का मामला नहीं है। धारा 304 (II) के तहत एक - अपीलकर्ता- बीबी, एबी और एचआर को संदेह का लाभ देकर धारा 302/34 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया - हालांकि, धारा 302 के तहत डीबी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया।

अपील का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा:

1.1 आरोपी व्यक्तियों के सामान्य इरादे या मृतक को मारने के लिए उनके दिमाग की पूर्व बैठक के बारे में कोई सबूत नहीं है। पीडब्ल्यू -5 के साक्ष्य में उस स्थान पर सभी अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है जहां मृतक को जमीन पर पड़ा देखा गया था। वह यह नहीं बताते हैं कि सभी अपीलकर्ता संबंधित समय पर लाठियां चला रहे थे। न ही उन्होंने अपीलकर्ताओं द्वारा घटनाओं के अनुक्रम के बारे में किए गए किसी भी खुलासे के बारे में बात की है, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को घातक चोटें आईं। इस प्रकार, यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं-बीबी, एबी और एचआर को मृतक को हुई घातक चोटों के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके कारण उसने अंततः दम तोड़ दिया। यहां तक कि अगर सभी नौ परिस्थितियों को जस का तस मान लिया जाए, तो भी ये अपीलकर्ताओं बीबी, एबी और एचआर की मिलीभगत को साबित नहीं करते हैं। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वे लाठी चला रहे थे या उन्होंने मृतक पर लाठी से हमला किया था ताकि उन्हें धारा 34 आईपीसी लागू करके जिम्मेदार ठहराया जा

सके। ज्यादा से ज्यादा, साबित हुई परिस्थितियों की श्रृंखला केवल अपीलकर्ता डीबी की ओर उंगली उठाएगी, जिसके घर से मृतक पर हमला करने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, डॉक्टर पीडब्ल्यू -8 की राय में दो घातक चोटें लाठी जैसे धारदार हथियार के कारण हो सकती हैं। तदनुसार, तीन अपीलकर्ताओं अर्थात् बीबी, एबी और एचआर की मिलीभगत को इंगित करने के लिए ठोस साक्ष्य के अभाव में, धारा 34 आईपीसी को लागू करके उनकी दोषसिद्धि को बनाए रखना मुश्किल होगा, जो उनके खिलाफ आरोप लगाया गया था। [पैरा 4] [1101- ई-एफ]

1.2 अपीलकर्ता डीबी के संबंध में, निचली अदालत द्वारा नोट की गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई नौ परिस्थितियां निश्चित रूप से अपराध में उसकी भागीदारी को स्थापित करेंगी, और विशेष रूप से, उसके घर से हथियार की बरामदगी के कारण, जिसका उपयोग जम्मू-कश्मीर पर हमला करने के लिए किया गया था। उन्होंने निर्दोष होने का दावा करने के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। चिकित्सा साक्ष्य से संकेत मिलता है कि दो चोटें घातक थीं और उनमें से प्रत्येक प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। पीडब्ल्यू -8 ने कहा है कि इस तरह की चोटों वाला रोगी एक घंटे तक जीवित रह सकता है और इससे अधिक जीवित रहने की संभावना न्यूनतम है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-8 के सबूतों पर भरोसा करते हुए कहा कि नौ परिस्थितियां विधिवत रूप से स्थापित थीं। यह एक संभावित दृष्टिकोण होने के नाते, इसे बरकरार रखा जाता है। साबित परिस्थितियां हत्या के घोषित अपराध में अपीलकर्ता डीबी की भागीदारी की ओर इशारा करती हैं। इस प्रकार, जेके की मौत के लिए अपीलकर्ता डीबी के खिलाफ अपराध की खोज के बारे में दोनों अदालतों द्वारा किए गए समवर्ती निष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 5] [1101-जी-एच; 1102-ए-सी]

1.3 यह तथ्य कि मृतक के शव के पोस्टमॉर्टम के दौरान केवल दो घातक चोटें देखी गई हैं, इस मामले को किसी भी अपवाद के भीतर नहीं लाएगा कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला था। उच्च न्यायालय ने पाया है कि मृतक के पास हथियार नहीं थे और वह किसी तरह का प्रतिरोध नहीं कर सकता था या हथियार से लैस चौकीदारों को चुनौती नहीं दे सकता था। माना कि आरोपी ने जेके को चोर माना और उसका पीछा किया, लेकिन लाठी के जोरदार वार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, जिससे घातक चोटें लग सकती हैं, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में देखा गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह आरोपी डीबी द्वारा मृतक की हत्या का मामला था, धारा 302 के तहत दंडित किए जाने वाले अपराध को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 6] [1102-डी-एफ]

1.4 अपराध स्थल पर तीन अपीलकर्ताओं - बीबी, एबी और एचआर की उपस्थिति ही आईपीसी की धारा 34 को लागू करके उनके खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने का आधार नहीं हो सकती है। परिस्थितियों की साबित श्रृंखला मृतक को दो घातक चोटों का कारण बनने में उनकी भागीदारी को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण उसने अंततः दम तोड़ दिया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत और हाईकोर्ट द्वारा समवर्ती रूप से पाए गए रिकॉर्ड से देखी गई परिस्थितियों के आधार पर डीबी की भागीदारी को साबित किया। इसके अलावा, यह आईपीसी की धारा 304 (II) के तहत हत्या के अपराध को एक में बदलने का मामला नहीं है। अपीलकर्ताओं बीबी, एबी और एचआर को संदेह का लाभ देकर धारा 302/34 के तहत अपराध से बरी किया जाता है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उनके खिलाफ रद्द किया जाता है। हालांकि, धारा 302 के तहत डीबी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 7, 8] [1102-एफ-एच; 1103-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की आपराधिक अपील संख्या 164।

2004 की आपराधिक अपील संख्या 323 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक 04.01.2008 के निर्णय और आदेश से।

अनिल श्रीवास्तव, अपीलकर्ताओं के वकील।

प्रतिवादी के वकील देबोजीत बोरकाकाती, विवेक सोनकर।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने सुनाया।

1. यह अपील गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2004 की आपराधिक अपील संख्या 323 में पारित 4 जनवरी, 2008 के निर्णय और आदेश पर आपत्ति व्यक्त करती है, जिसमें सत्र केस संख्या 27 (एस-सी) 2003 में शिवसागर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संख्या 2 (तदर्थ) द्वारा दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। शुरुआत में, छह आरोपियों पर कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। उनमें से दो आरोपियों को निचली अदालत ने इस आधार पर बरी कर दिया कि उनके अपराध को स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया था। हालांकि, चार आरोपी, जो यहां अपीलकर्ता हैं, निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए थे। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी जो खारिज हो गई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की इस टिप्पणी को पलट दिया कि पीडब्ल्यू-5 (लखीराम कुर्मी) एक प्रत्यक्षदर्शी था। इस अर्थ में, निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि यह अपीलकर्ताओं की मिलीभगत स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था। निचली अदालत ने पैराग्राफ 35 में परिस्थितियों को निम्नानुसार दर्ज किया:

1. जुगेश्वर कुर्मी रात में लखीराम कुर्मी (पीडब्ल्यू -5) के घर गए और रात का भोजन करने के बाद वह लगभग 08:30 बजे अपने घर से निकले।

2. लखीराम कुर्मी ने सुना कि जुगेश्वर कुर्मी के घर से जाने के तुरंत बाद कुत्ते भौंक रहे थे।

3. लखीराम ने आवाज सुनी कि चौकीदार किसी का पीछा कर रहे हैं।

4. लखीराम ने चौकीदारों द्वारा किसी को पीटने की आवाज सुनी।

5. चौकीदारों ने लखीराम से बगीचे के अंदर सड़क पर पड़े घायलों के लिए कुछ पानी लाने के लिए कहा।

6. आरोपी व्यक्तियों की टॉर्च की रोशनी में लखीराम ने जुगेश्वर की पहचान की।

7. घायल जुगेश्वर को आरोपी व्यक्तियों द्वारा जितेन की साइकिल के वाहक पर ले जाया गया था, जिसके दो हाथ रस्सी से बंधे हुए थे।

8. जुगेश्वर बगीचे के कारखाने के सामने मृत पड़ा था।

9. जांच अधिकारी ने आरोपी दीपांकर के घर से एक लाठी बरामद की और उसे जब्त कर लिया।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की कि घोषित परिस्थितियों ने स्पष्ट रूप से अपराध में अपीलकर्ताओं की भागीदारी का संकेत दिया, जिसके परिणामस्वरूप जुगेश्वर कुर्मी (मृतक) की मृत्यु हो गई, और ऐसा करने के बाद, अपीलकर्ताओं के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

2. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और रिकॉर्ड को देखने के बाद, हमें यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है। निचली अदालत द्वारा नोट की गई परिस्थितियों के अलावा और जिसने उच्च न्यायालय की सराहना की, रिकॉर्ड से किसी अन्य परिस्थिति को नहीं समझा जा सकता है। चाय बागान (पीडब्ल्यू-5) के प्रबंधक लखीराम कुर्मी एकमात्र गवाह हैं, जो जुगेश्वर कुर्मी पर पहले ही हमला किए जाने और जमीन पर पड़े देखे जाने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। अपनी जांच में, उन्होंने कहा है कि जुगेश्वर कुर्मी उसी शाम को उनके घर आए थे और रात का खाना खाने के बाद लगभग 08:30 बजे चले गए। बाद में, उन्होंने (पीडब्ल्यू -5) रात लगभग 10:30 बजे अपने घर के बाहर कुछ हलचल सुनी। जब वह यह देखने के लिए बाहर गया कि कुत्ते क्यों भौंक रहे थे, तो वह लगभग 300 हाथ से देख सकता था जहां से आवाज आ रही थी, अदालत में उसके द्वारा पहचाने गए चौकीदार (सभी आरोपी) खड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे किसी व्यक्ति या मवेशियों को पीट रहे हैं। बदले में चौकीदारों ने उसे पानी लाने के लिए कहा और जब वह घटनास्थल के पास गया तो उसने जुगेश्वर कुर्मी को सड़क पर पड़ा पाया। वह आरोपी व्यक्तियों की मशाल की रोशनी में जुगेश्वर कुर्मी को पहचान सकता था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जुगेश्वर कुर्मी को जल चढ़ाया। इसके अलावा, चौकीदारों ने उन्हें बताया कि वह (जुगेश्वर कुर्मी) चाय की झाड़ियों को चुरा रहे थे। इसके बाद आरोपी घायल को अपने बेटे जितेन की साइकिल से बाग की फैक्ट्री में ले गया और सुबह उसे सूचना मिली कि जुगेश्वर कुर्मी की मौत हो गई है.

3. उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि लखीराम कुर्मी (पीडब्ल्यू -5) एक प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। प्रश्न यह है कि क्या निचली अदालत द्वारा नोट की गई परिस्थितियां और जो उच्च न्यायालय को स्वयं सराहना की गई थी, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त थीं कि सभी अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध के दोषी थे? बेशक, मृतक (जुगेश्वर कुर्मी) को मारने के लिए आरोपी व्यक्तियों के सामान्य इरादे या उनके दिमाग की पूर्व बैठक के बारे में कोई सबूत नहीं है। पीडब्ल्यू-एस के साक्ष्य में उस स्थान पर सभी अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है, जहां जुगेश्वर कुर्मी को जमीन पर पड़ा देखा गया था। वह यह नहीं बताते हैं कि सभी अपीलकर्ता संबंधित समय पर लाठियां चला रहे थे। न ही उन्होंने अपीलकर्ताओं द्वारा घटनाओं के अनुक्रम के बारे में किए गए किसी भी खुलासे के बारे में बात की है, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को घातक चोटें आईं। इस प्रकार, यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं बिकास बोरा, अतुल बोरा और हरेन रौतिया को मृतक को लगी घातक चोटों के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके कारण उसने अंततः दम तोड़ दिया। डॉ. उदयादित्य राजकोंवर (पीडब्ल्यू-8) द्वारा की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, उन्होंने जुगेश्वर कुर्मी के मृत शरीर पर निम्नलिखित चोटों को नोट किया है:

"1. सिर के बाईं ओर हेमोटोमा जिसमें ललाट की हड्डी का फ्रैक्चर और सामने के पार्श्विका और लौकिक संरचना का पृथक्करण होता है।

2. 10 "पसली के फ्रैक्चर के साथ बाईं निचली लेटरचेस्ट दीवार पर चोट।

3. बाईं ठोड़ी पर घर्षण 1. सेंटीमीटर।

4. इलियाक शिखा के ऊपर बाएं पार्श्व पेट की दीवार पर दो घर्षण, प्रत्येक 1. सेमी।

उन्होंने कहा है कि पहली दो चोटें, उनकी राय में, व्यक्तिगत रूप से, प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकती थीं। जुगेश्वर कुर्मी की मौत किसी धारदार हथियार से लगी चोटों के सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई।

4. हमारा सुविचारित मत है कि यदि सभी नौ परिस्थितियों को जस का तस मान लिया जाए, तो भी ये अपीलकर्ताओं बिकास बोरा, अतुल बोरा और हरेन रौतिया की मिलीभगत को ठोस रूप से स्थापित नहीं करते हैं। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वे लाठी चला रहे थे या उन्होंने मृतक (जुगेश्वर कुर्मी) पर लाठी से हमला किया था ताकि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू करके जिम्मेदार ठहराया जा सके। ज्यादा से ज्यादा, साबित हुई परिस्थितियों की श्रृंखला केवल अपीलकर्ता दीपांकर बोरा की ओर उंगली उठाती है, जिसके घर से मृतक पर हमला करने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, डॉ. उदयादित्य राजकोंवर (पीडब्ल्यू -8) की राय में दो घातक चोटें लाठी जैसे धारदार हथियार के कारण हो सकती हैं। तदनुसार, तीन अपीलकर्ताओं अर्थात् विकास बोरा, अतुल बोरा और हरेन रौतिया की मिलीभगत को इंगित करने के लिए ठोस साक्ष्य के अभाव में, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लागू करके उनकी दोषसिद्धि को बनाए रखना मुश्किल होगा, जो उनके खिलाफ आरोप लगाया गया था। नतीजतन, उन्हें संदेह का लाभ देकर बरी होने के लायक हैं।

5. अपीलकर्ता दीपांकर बोरा के मामले पर लौटते हुए, निचली अदालत द्वारा नोट की गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई नौ परिस्थितियां निश्चित रूप से अपराध में उनकी भागीदारी को स्थापित करेंगी, और विशेष रूप से, उनके घर से हथियार की बरामदगी के कारण, जिसका उपयोग जुगेश्वर कुर्मी पर हमला करने के लिए किया गया था। उन्होंने निर्दोष होने का दावा करने के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। चिकित्सा साक्ष्य से संकेत मिलता है कि दो चोटें घातक थीं और उनमें से प्रत्येक प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। पीडब्ल्यू -8 ने कहा है कि इस तरह की चोटों वाला रोगी एक घंटे तक जीवित रह सकता है और इससे अधिक जीवित रहने की संभावना न्यूनतम है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू -5 और पीडब्ल्यू -8 के सबूतों पर भरोसा करके सही कहा कि नौ परिस्थितियां विधिवत स्थापित थीं। यह एक संभावित दृष्टिकोण होने के नाते, हम इसमें हस्तक्षेप करने से हिचकेंगे। साबित हुई परिस्थितियां हत्या के कथित अपराध में अपीलकर्ता दीपांकर बोरा की संलिप्तता की ओर इशारा करती हैं। इस प्रकार, हम अपराध के लिए अपीलकर्ता दीपांकर बोरा के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष और जुगेश्वर कुर्मी की मौत के लिए दोषी पाए जाने के बारे में दोनों अदालतों द्वारा किए गए समवर्ती निष्कर्ष से सहमत हैं।

6. अगला प्रश्न यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 II में परिवर्तित किया जा सकता है। तथ्य यह है कि मृतक (जुगेश्वर कुर्मी) के शव के पोस्टमॉर्टम के दौरान केवल दो घातक चोटें देखी गई हैं, यह मामला किसी भी अपवाद के भीतर नहीं लाएगा कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला था। उच्च न्यायालय ने पाया है कि मृतक (जुगेश्वर कुर्मी) हथियारों से लैस नहीं था और वह हथियार से लैस चौकीदारों को कोई प्रतिरोध या चुनौती नहीं दे सकता था। माना कि आरोपियों ने जुगेश्वर कुर्मी को चोर माना था और उसका पीछा किया था, लेकिन लाठी के जोरदार वार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, जिससे घातक चोटें लग सकती हैं, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में देखा गया है और पीडब्ल्यू -8

द्वारा साबित किया गया है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के इच्छुक नहीं हैं कि यह जुगेश्वर कुर्मी (मृतक) की हत्या का मामला था, हालांकि आरोपी दीपांकर बोरा द्वारा, एक अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडित किया जा सकता है।

7. तदनुसार, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अपराध स्थल पर तीन अपीलकर्ताओं अर्थात् विकास बोरा, अतुल बोरा और हरेन रौतिया की उपस्थिति ही भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लागू करके उनके खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने का आधार नहीं हो सकती है। परिस्थितियों की साबित श्रृंखला मृतक (जुगेश्वर कुर्मी) को दो घातक चोटों के कारण उनकी संलिप्तता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण उन्होंने अंततः दम तोड़ दिया। हालांकि, अभियोजन पक्ष निचली अदालत और हाईकोर्ट द्वारा समवर्ती रूप से पाए गए रिकॉर्ड से देखी गई नौ परिस्थितियों के आधार पर आरोपी दीपांकर बोरा की संलिप्तता स्थापित करने में सफल रहा है। इसके अलावा, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (II) के तहत हत्या के अपराध को एक में बदलने का मामला नहीं है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील आंशिक रूप से सफल होती है। तीन अपीलकर्ताओं अर्थात् विकास बोरा, अतुल बोरा और हरेन रौतिया को संदेह का लाभ देकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध से बरी किया जाता है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उनके खिलाफ रद्द किया जाता है। हालांकि, अपीलकर्ता दीपांकर बोरा द्वारा दायर अपील को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया जाता है। उनका जमानत बांड रद्द कर दिया गया है। उन्हें शेष सजा काटने के लिए आज से चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा, जिसमें विफल रहने पर संबंधित पुलिस स्टेशन को कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अपील का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।

अपील निस्तारित।

इला देवल, अधिवक्ता